रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1987/श्रावण 5, 1909
No. 161] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1987/SRAVANA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 205 आई टी सी (पी एन / 85–88

नई दिल्ली, 27 जलाई, 1987

विषय .— अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात निर्यात नीति

फा. सं. आई, पी. सी./4/5/बी/5(1)/16/85—88:— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1–आई टी सी (पीएन)/85-88 दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985–मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड–1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
3.	157–158	परिशिष्ट–5 भाग–ख मद सं. –5 तेल//बीज	इस मद के अंतर्गत द्वितीय पैरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किय जाएगा:— "अन्य सभी तेल/बीज/अन्य कोई वस्तु जिससे तेल निकाला जा सके चाहे खाद्य या अखाद्य हो जिसमें वनस्पति फैट्स भी शामिल हों, जिसका विशेष रूप से ऊपर या इस नीति में अन्य कहीं उल्लेख न हो। (परन्तु टंग आयल/चीना वुड आयाल और प्राकृतिक तेल को छोड़कर) का आयात इन प्रावधानों के अधीन केवल राज्य व्यापार निगम/हिन्दुस्तान वनस्पति तेल कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा ही किया जाएगा।"

4. आयात निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्या नियंत्रक, आयात एवं निर्यात
मंजुला सुब्राहमणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक
आयात एवं निर्यात

MINISRTY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 205-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 27th July, 1987

Subject:—Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

F.No. IPC/4/5(B)/5(1)/16/85—88:—Attention is invited to the Import & Exprot Policy for April 1985—March 1988, publised under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC/PN)/85-88 dated the 12th April 1985 as amended.

2. The following amendment shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985-88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	157—158	APPENDIX 5 PART—B Item No. 5 Oils/Seeds	The second paragraph under this item shall be substituted by the following:— "All other oils/seeds/any other material from which oil can be extracted, whether edible or non-edible including vegetable fats, not specifically mentioned above or elsewhere in tkis policy, (but excluding Tung oil/China Wood oil and natural essential oils) will also be imported only by STC/Hindustan Vegetable Corporation, New Delji under these provisions."

2. The above amendment in the Import & Export Policy had been made in the public interest.

Sd/-

R.L. MISRA, Chief Controller of Import & Exports
MANJULA SUBRAMANIAM, Joint, Chief Controller of Imports & Export

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987